COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

74

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विविध-9043-I-16

प्र0 क्र0 विविध 9043 एक/16

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एडवोकेट
द्वारा आज दि. 5/8/16
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 5.8.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सुम्मेर सिंह ----- आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन ----- अनावेदक

5/8/16 भूल–सुधार वावत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32, म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959

श्रीमान महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है कि :–

1– यह कि, श्रीमान न्यायालय द्वारा रिव्यु प्रकरण कमांक 3129–दो/15 में दिनांक 09.06.16 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें भूलवश टंकण की त्रुटि से आदेश के पैरा 2 के 05 वी लाइन में खसरा नम्बर 754 रकवा 0.92 के स्थान पर 753 रकवा 2.15 टंकित हो गया है, एवं पैरा 2 के 07 वी लाइन में खसरा नम्बर 758 रकवा 0.35 जोड़ा जावे।

अतः मान0 न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त आदेश में पैरा 2 के 05 वी लाइन में संशोधन खसरा नम्बर 753 के स्थान पर 754 एवं पैरा 2 के 06 वी लाइन में रकवा 2.15 के स्थान पर रकवा 0.92 एवं पैरा 2 के 07 वी लाइन में खसरा नम्बर 758 रकवा 0.35 जोड़े जाने की कृपा करें।

इति दिनांक 05/08/16

स्थान– ग्वालियर

द्वारा अभिभाषक

रजनी वशिष्ठ शर्मा

एडवोकेट

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 9043-एक/16 जिला -पन्ना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.8.16	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा ने उपस्थित होकर भूल-सुधार वावत् आवेदन-पत्र अर्न्तगत धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता,1959 के अन्तार्गत प्रस्तुत किया। 2- उनका तर्क है कि रिव्यु प्र0क0 3129-दो/15 में दिनांक 09.06.2016 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें भूलवश त्रुटि से आदेश के पैरा 2 के 5 वी लाइन में खसरा नं0 754 रकवा 0.92 के स्थान पर 753 रकवा 2.15 अंकित हो गया है, एवं पैरा 2 के 7 वी लाइन में खसरा न0 758 रकवा 0.35 जोड़ा जावे। 3- आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने जिसमें त्रुटिवश हुई टंकण की त्रुटि को आदेश के पैरा 2 के 5 वी लाइन में खसरा नं0 753 रकवा 2.15 के स्थान पर खसरा नं0 754 रकवा 0.92 पढ़ा जावे, तथा पैरा 2 के 7 वी लाइन में खसरा नं0 758 रकवा 0.35 हैक्टेयर और जोड़ने के आदेश दिये जाते हैं। यह आदेश पत्रिका मूल आदेश का अंग मानी जावेगी। सदस्य	